पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2017 ई0 (अग्रहायण 18, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–49

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	849–854	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	705–727	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	161–165	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–8

अधिसूचना

25 सितम्बर, 2017 ई0

संख्या 1142/XX–(8)2017–11(10)2005–श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (ध) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस संबंध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद देहरादून की तहसील त्यूनी के अन्तर्गत स्थापित थाना त्यूनी के क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से अवस्थित क्षेत्र के अतिरिक्त 04 राजस्व क्षेत्र के 23 राजस्व ग्रामों (संलग्न परिशिष्ट–1) को भी नियमित पुलिस थाना, त्यूनी के क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित करते हुए, अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के फलस्वरूप परिशिष्ट–1 में राजस्व पुलिस क्षेत्र के 23 गाँव नियमित पुलिस थाना, त्यूनी के क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित होंगे तथा राजस्व पुलिस के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे।

परिशिष्ट–1

संख्या 1142/XX–(8)2017–11(10)2010, दिनांक 25.09.2017

जनपद देहरादून की तहसील त्यूनी के थाना त्यूनी क्षेत्रान्तर्गत अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व क्षेत्र/ग्रामों की सूचीः–

क्र0 सं0	पटवारी क्षेत्र	क्र0 सं0	सम्मिलित ग्रामों के नाम	कुल ग्रामों की संख्या
01.	त्यूनी	01.	डेरसा	11
		02.	कुलाहा	
		03.	भाटगढी	
		04.	मेघाटू	
		05.	छुमरा	
		06.	भगवत	
		07.	शेडिया	
		08.	रायगी	
		09.	झिटाड	
		10.	बानपुर	
		11.	बूनाड वास्तिल	
02.	हनोल	12.	चातरा	06
		13.	पुरटाड	
		14.	बागी	
		15.	निनुस	
		16.	दारमीगाड	
		17.	कूणा	
03.	अणू	18.	प्यूनल	05
		19.	रडू	
		20.	मुन्धौल	
		21.	सैंज	
		22.	फडीज	
04.	काण्डोई	23.	कावाखेडा	01

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

09 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 1896/VII–2/471/उद्योग/2002–श्री राज्यपाल महोदय, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं/पदों पर "उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 2017" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017"

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम–8(1) का प्रतिस्थापनः

उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 2017 के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 8(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

		स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
नियम	पदनाम	*वर्तमान नियम*	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
8(1)	निदेशक, उद्योग एवं अपर निदेशक, उद्योग	(क) निदेशक, उद्योग एवं अपर निदेशक, उद्योग के पद के लिए:	(क) निदेशक, उद्योग के पद के लिए:
		(एक) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष	(एक) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष
		(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग –सदस्य	(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
		(तीन) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक विभाग – सदस्य	(तीन) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
		(चयन की कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी)	(चयन की कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी)
		(ख) संयुक्त निदेशक, उद्योग के पद के लिए:	(ख) अपर निदेशक, उद्योग एवं संयुक्त निदेशक, उद्योग के पद के लिए:
		(एक) प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग– सदस्य	(एक) प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष
		(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक या उसका कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो सरकार के अपर सचिव स्तर से निम्न न हो – सदस्य	(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक विभाग या उनके द्वारा कोई नाम निर्दिष्ट अधिकारी, जो राज्य सरकार के अपर सचिव स्तर से निम्न न हो – सदस्य
		(तीन) शासन द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी – सदस्य	(तीन) यथास्थिति महानिदेशक/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड – सदस्य
		(चार) निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड – सदस्य	

आज्ञा से,
मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 1896/VII-2/471/Industry/2002,** dated November 09, 2017 for general information.

NOTIFICATION

November 09, 2017

No. 1896/VII-2/471/Industry/2002--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to make the following rules with a view further to amend the Uttarakhand Industry (Senior Category "A") Service rules, 2017:

The Uttarakhand Industry (Senior Category 'A') (Amendment) Service Rules, 2017

1. Short title and commencement :

(1) These Rules may be called the Uttarakhand Industry (Senior Category 'A') (amendment) Service Rules, 2017.

(2) It shall come in to force at once.

2. Amendment of sub-rule (1) of rule 8 :

In the Uttarakhand Industry (Senior Category "A") Service Rules, 2017, in sub-rule (1) of rule 8 of the existing rule set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely:

COLUMN 1 *Existing Rules*	**COLUMN 2** *rules as hereby substituted*
(A) for the post of Director, Industry and Additional Director, Industry : (i) Chief Secretary, Government of Uttarakhand **--Chairman;** (ii) Principal Secretary/Secretary, Micro, Small and Medium Industry Department -- **Member;** (iii) Principal Secretary/Secretary, Personnel Department, Government of Uttarakhand -- **Member** (the selection proceeding shall by the Personnel Department)	**(A) for the post of Director, Industry :** (i) Chief Secretary, Government of Uttarakhand **--Chairman;** (ii) Principal Secretary/Secretary, Micro, Small and Medium Industry Department -- **Member;** (iii) Principal Secretary/Secretary, Personnel Department, Government of Uttarakhand -- **Member** (the selection proceeding shall by the Personnel Department)
(B) for the post of Joint Director, Industry : (i) Principal Secretary/Secretary, Small and Medium Industry Department -- **Member;** (ii) Principal Secretary/Secretary, Personnel Department, Government of Uttarakhand or his nominee, who is not below the rank of Additional Secretary -- **Member;** (iii) A officer of Scheduled Caste/Tribes nominated by Government of Uttarakhand -- **Member;** (iv) Director, Industry, Uttarakhand Government -- **Member**	**(B) for the post of Additional Director and Joint Director, Industry :** (i) Principal Secretary/Secretary, Micro, Small and Medium Industry Department --**Chairman;** (ii) Principal Secretary/Secretary, Personnel Department, Government of Uttarakhand or his nominated officer, who is not below the rank of Additional Secretary -- **Member;** (iii) Director General/Director, as the case may be Industry Uttarakhand Government -- **Member**

By order,

MANISHA PANWAR,

Principal Secretary.

गृह अनुभाग–5

शुद्धि–पत्र

23 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 1073/XX(5)/17–03(अर्द्ध सै0)/2016–गृह अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1195/XX(5)/16–03(अर्द्ध सै0)/2016, दिनांक 22.12.2016 में अंकित अनुसूची को संशोधित करते हुए, उसके स्थान पर निम्नवत् अनुसूची पढ़ी जाये और अधिसूचना दिनांक 22.12.2016 इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगीः–

जिला	परगना	मौजा	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	जोग्यूडा	1889	0.023
			1890	0.004
			1891	0.003
			1892	0.009
			1893	0.003
			1894 म0	0.014
			1896 म0	0.012
			1897 म0	0.014
			1898 म0	0.012
			1899 म0	0.008
			1907	0.010
			1908	0.024
			1909	0.003
			1910	0.004
			1911	0.004
			1912	0.009
			योग–16	0.156

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–8

शुद्धि–पत्र

10 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 912/2017/XXVii(8)/09(120)2017–वित्त अनुभाग–8, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 792/2017/XXVii(8)/09(120)2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा निर्गत "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2017" के हिन्दी पाठ के नियम 138 में निम्नलिखित सारणी के सतम्भ–4 में उल्लिखित शब्दावली के स्थान पर स्तम्भ–5 में उल्लिखित शब्दावली पढ़ी जायेगी:–

क्र0 सं0	नियम	उपनियम	के स्थान पर	पढ़ें
1.	138	(3)	परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा	परिवहनकर्ता द्वारा
2.	138	(3) का तीसरा परन्तुक	अगो	आगे
3.	138	(5) का परन्तुक	किया जायेगा	किया जाये
4.	138	(8) का परन्तुक	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है
5.	प्ररूप "जीएसटी आनआईबी–1" शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयुक्त हुए हैं, उनके स्थान पर "प्ररूप जीएसटी आईएनवी–1" पढ़ा जायेगा।			
6.	138ख	(2)	पहचान प्रवाचक	पहचान युक्ति प्रवाचक
7.	138ख	(2)	ज्ञानों	यानों
8.	138ख	(2)	दोबार	दोबारा

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49 हिन्दी गजट/803–माग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2017 ई0 (अग्रहायण 18, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि अनुभाग)

16 नवम्बर, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 3938/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 3905/आ0रा0क0उ0/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2017–18, 3906/आ0रा0क0उ0/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2017–18, एवं अधिसूचना संख्या 3907/आ0रा0क0उ0/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2017, समदिनांकित 15 नवम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2018 हेतु प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी फाइल करने के लिए अन्तिम तिथि घोषित किये जाने, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 117 एवं नियम 120क के अधीन प्ररूप जी0एस0टी0 टीआरएएन–1 में घोषणा दाखिल करने की तिथि 27 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ाए जाने सम्बन्धी अधिसूचनाएँ जारी किये जाने विषयक हैं।

उपरोक्त अधिसूचनाएँ, इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड

(राज्य कर विभाग)

अधिसूचना

15 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 3905/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2017–18–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त एतद्द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट करती हूँ कि

नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर–3ख में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्:–

सारणी

क्रम संख्या	मास	प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी फाइल करने के लिए अन्तिम तारीख
1.	जनवरी, 2018	20 फरवरी, 2018
2.	फरवरी, 2018	20 मार्च, 2018
3.	मार्च, 2018	20 अप्रैल, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर–3ख के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करों का संदाय–प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का निर्वहन उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित अन्तिम तारीख, जिस तक उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, से पूर्व यथास्थिति इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही या इलेक्ट्रानिक प्रत्यय बही से विकलित करके उन्मोचन करेगा।

NOTIFICATION

November 15, 2017

No. 3905/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18--In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in FORM GSTR-3B for the month as specified in column (2) of the Table shall be furnished electronically through the common portal, on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:--

Table

Sl. No.	Month	Last Date for filing of return in **FORM GSTR-3B**
(1)	(2)	(3)
1.	January, 2018	20th February, 2018
2.	February, 2018	20th March, 2018
3.	March, 2018	20th April, 2018

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B**--Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3b** shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

आदेश

15 नवम्बर, 2017 ई0

विषयः—उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 के अधीन प्ररूप जी0एस0टी0 टीआरएएन–1 में घोषणा दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाए जाने विषयक।

संख्या 3906/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2017–18–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर तथा आदेश संख्या 3776(ii), दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्ररूप जी0एस0टी0 टीआरएएन–1 में घोषणा दाखिल करने की तिथि, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ाती हूँ।

Order

November 15, 2017

Subject : Extension of time limit for submitting the declaration in **FORM GST TRAN-1** under rule 117 of the Uttarakhand Goods and Service Tax Rules, 2017.

No. 3906/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18--In exercise of the powers conferred by rule 117of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, on the recommendations of the Council and in supersession of Order No. 3676(ii), dated 28th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the period for submitting the declaration in **FORM GST TRAN-1** is extended till 27th December, 2017.

आदेश

15 नवम्बर, 2017 ई0

विषयः—उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 120क के अधीन प्ररूप जी0एस0टी0 टीआरएएन–1 में घोषणा दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाए जाने विषयक।

संख्या 3907/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2017–18–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 120क सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर तथा आदेश संख्या 3771, दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्ररूप जी0एस0टी0 टीआरएएन–1 में घोषणा दाखिल करने की तिथि, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ाती हूँ।

सौजन्या,
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

Order

November 15, 2017

Subject : Extension of time limit for submitting the declaration in **FORM GST TRAN-1** under rule 120A of the Uttarakhand Goods and Service Tax Rules, 2017.

No. 3907/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18--In exercise of the powers conferred by rule 120A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, on the recommendations of the Council and in supersession of Order No. 3771, dated 06th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the period for submitting the declaration in **FORM GST TRAN-1** is extended till 27th December, 2017.

SOWJANYA,
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.

(विधि अनुभाग)

20 नवम्बर, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 3977/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 के पत्र संख्या 912/2017/XXVII(8)/09(120)2017 एवं पत्र संख्या 911/2017/1(A)(120)/XXVII(8)/2001, समदिनांकित 10 नवम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 792, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा निर्गत "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2017" के हिन्दी पाठ में शुद्धि–पत्र जारी किये जाने एवं सीजन वर्ष 2016–17 हेतु लागू ईंट भट्टा समाधान योजना के प्रस्तर–04 में निर्धारित समाधान राशि को दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी0 प्रणाली लागू हो जाने के दृष्टिगत 25 प्रतिशत कम किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, को जारी किये जाने विषयक है।

उपरोक्त शुद्धि–पत्र एवं शासन के निर्णय की प्रतियाँ, इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संख्या 911/2017/1(A)(120)/XXVII(8)/2001

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य कर आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–8 देहरादून : दिनांक 10 नवम्बर, 2017

विषयः–सीजन वर्ष 2016–17 हेतु लागू ईंट भट्टा समाधान योजना में से अन्तिम 03 माह के समाधान शुल्क को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3018/आयु0रा0कर उत्तरा0/मुख्यालय/विधि अनु0/2017–18, दिनांक 21.09.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

02. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 77/2017/XXVII(8)/1(A)(120)/2001, दिनांक 31.01.2017 द्वारा जारी सीजन वर्ष 2016–17 हेतु लागू ईंट–भट्टा समाधान योजना के प्रस्तर–04 में निर्धारित समाधान राशि को दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी0 प्रणाली लागू हो जाने के दृष्टिगत 25 प्रतिशत कम किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

03. सीजन वर्ष 2016–17 के लिए ईंट–भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 77/2017/XXVII(8)/1(A)(120)/2001, दिनांक 31.01.2017 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

वित्त अनुभाग–8

शुद्धि–पत्र

10 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 912/2017/XXVii(8)/09(120)2017–वित्त अनुभाग–8, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 792/2017/XXVii(8)/09(120)2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा निर्गत "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2017" के हिन्दी पाठ के नियम 138 में निम्नलिखित सारणी के सतम्भ–4 में उल्लिखित शब्दावली के स्थान पर स्तम्भ–5 में उल्लिखित शब्दावली पढ़ी जायेगीः–

क्र0 सं0	नियम	उपनियम	के स्थान पर	पढ़ें
1.	138	(3)	परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा	परिवहनकर्ता द्वारा
2.	138	(3) का तीसरा परन्तुक	अगो	आगे
3.	138	(5) का परन्तुक	किया जायेगा	किया जाये
4.	138	(8) का परन्तुक	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है
5.	प्ररूप "जीएसटी आनआईबी–1" शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयुक्त हुए हैं, उनके स्थान पर "प्ररूप जीएसटी आईएनवी–1" पढ़ा जायेगा।			
6.	138ख	(2)	पहचान प्रवाचक	पहचान युक्ति प्रवाचक
7.	138ख	(2)	ज्ञानों	यानों
8.	138ख	(2)	दोबार	दोबारा

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून

आदेश

11 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4312/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 10.10.2016 को वाहन संख्या–यूपी–11एडी–0857, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक कु0 आफताब परवीन पुत्री श्री मो0 आकिल, आजीज कॉलोनी, चिल्काना रोड, सहारनपुर, उ0प्र0 की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 1111010007, जो कि सहारनपुर कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 02.06.2031 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4451/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 20.06.2017 को वाहन संख्या–यू0के0–07बी0ई0–1529, मोटर साइकिल वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन संचालन करते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री आनन्द पुत्र श्री राम चन्द्र की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0पी0–7220130001354, जो प्रतापगढ़, यू0पी0 कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 30.01.2013 से 29.01.2033 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4452/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 15.07.2017 को वाहन संख्या–यू0के0–07बीजी–1453, मोटर कार वाहन का चालान, चालक द्वारा रेड लाइट जम्प करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री के0 के0 अग्रवाल पुत्र श्री जी0 पी0 अग्रवाल की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0–0720050024634, जो इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 13.08.2015 से 12.08.2020 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 12 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4453/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 11.07.2017 को वाहन संख्या–यू0के0–07बीडी–5251, मोटर कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन संचालन करते समय मोबाइल का प्रयोग करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मौ0 शाकिर पुत्र श्री मौ0 रसीद की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0पी0–1120140005447, जो इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 29.03.2014 से 28.03.2034 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4456/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.07.2017 को वाहन संख्या–UA07S-0999, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सैफ खान S/o मो0 अफजल की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720080034446, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 30.01.2008 से 29.01.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से .....तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4459/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 09.07.2017 को वाहन संख्या UK07K-7080, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री जयन्त शर्मा S/o श्री नरेश शर्मा के चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720110182848, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 04.11.2011 से 03.11.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से.....तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

27 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4471/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 03.07.2017 को वाहन संख्या UP078-2640, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Shri Sanyam Uniyal S/o Shri M. N. Sharma के चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720130260018, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 03.07.2013 से 12.07.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से.....तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4472/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 22.07.2017 को वाहन संख्या UA07D-4418, ... वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री दिल कुमार S/o श्री नर बहादुर की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1420100012865, जो कि Rishikesh कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 20.04.2010 से 11.08.2021 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से.....तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4473/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 15.07.2017 को वाहन संख्या C.H.N.ME4AF507END25211620, ... वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Unsafe Driving के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अमन उपाध्याय S/o श्री अनिल उपाध्याय की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 0720130241547, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 27.02.2013 से 26.02.2043 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से.....तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

27 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4474/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 22.07.2017 को वाहन संख्या UK07BR-9792, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक कु0 श्रुति शर्मा D/o श्री ए0 के0 शर्मा की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0780170004389, जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 06.03.2017 से 05.03.2037 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से.....तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4475/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.07.2017 को वाहन संख्या UK07BR-6406, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री विजय कुमार S/o श्री वी0 मंगलवाडी की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720120215397, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 09.07.2012 से 08.07.2032 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से.....तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4476/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 26.06.2017 को वाहन संख्या UK67A-0217, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Red light jump के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री बहीपेन्दर सिंह S/o श्री सुरेन्द्र सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1020070006496, जो कि उत्तरकाशी कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 17.06.2010 से 16.06.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 17.06.2016 से 16.06.2019 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 12 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4478/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 19.07.2017 को वाहन संख्या UK07BH-929, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री फैजल खान S/o श्री वाहिद अली खान की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP111993004, जो कि ..... कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 11.03.1993 से 25.08.2020 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

28 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4480/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 06.07.2017 को वाहन संख्या PB10FF-9613, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अजय कुमार S/o श्री अशोक कुमार की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 1753/JGN, जो कि ..... कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 16.02.2004 से 15.02.2024 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4481/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 24.07.2017 को वाहन संख्या UK07TA-6467, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री गोपाल S/o श्री दीगर सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP-0720000201802, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 29.02.2000 से 28.02.2020 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 30.03.2015 से 29.03.2018 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4482/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 23.07.2017 को वाहन संख्या UP17T-2521, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री विपिन कुमार S/o श्री धरमवीर सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP1720030000320, जो कि बागपत कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 16.08.2003 से 11.07.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से 23.07.2019 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4483/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 23.07.2017 को वाहन संख्या UK07BU-2199, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मो0 शेख महबूब S/o श्री मंजर अहसान की चालन अनुज्ञप्ति संख्या MH-0120110076020, जो कि महाराष्ट्र कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 05.12.2011 से 04.12.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

28 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4485/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, अधीक्षक, नहान (एच0पी0) द्वारा दिनांक 25.05.2017 को वाहन संख्या यू0के07सीबी–1135, कार वाहन का चालान, क्षमता से अधिक सामान ले जाने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मौ0 शमशाद अहमद पुत्र श्री मौ0 याकूब की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0–0720030205730, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 04.03.2003 से 03.03.2023 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 15.04.2015 से 14.04.2018 के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 08 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

28 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4487/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 25.07.2017 को वाहन संख्या UK07TB-0140, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री आशीष शुक्ला S/o श्री लल्लू राम शुक्ला की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP-072009008471, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 12.08.2009 से 11.08.2019 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 15.11.2014 से 14.11.2017 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम ..... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

28 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4488/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 18.07.2017 को वाहन संख्या HR09M-7877, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Jagdev Singh S/o Sri Karnal Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या PB-1120100146472, जो कि Patiala कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 20.05.2017 से 19.05.2021 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

28 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4491/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 18.07.2017 को वाहन संख्या UA07T-5513, बस वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sher Singh S/o Sri Babu Lal की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0719820267606, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 14.04.1982 से 30.08.2018 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से 17.04.2020 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5233/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 06.06.2017 को वाहन संख्या DL55X9059, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Use of Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Rais Ahmad S/o Sri Saluddin की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP2020150024478, जो कि Bijnor कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 26.11.15 से 25.11.35 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम ..... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5234/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.07.2017 को वाहन संख्या UK07TA-9889, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री बिपेन्द्र सिंह S/o श्री लखपत सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720080038366, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 15.03.08 से 14.03.28 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 19.02.2016 से 18.02.19 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5235/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 30.06.2017 को वाहन संख्या UK07W-7842, M/C वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री संजीव कुमार S/o श्री रिसमपाल सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720090076830, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 18.08.2009 से 17.08.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5236/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 26.06.2017 को वाहन संख्या DL10CT-1427, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Jai Shankar Lahori S/o Sri B. B. Lahori की चालन अनुज्ञप्ति संख्या DL0420030137412, जो कि Janakpuri कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 12.05.2016 से 11.05.2021 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम ..... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5237/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 12.01.2017 को वाहन संख्या UK07TA-4884, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Overload (P) के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री दलीप कुमार S/o श्री सी0 लाल की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP-0720010149863, जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 08.02.2001 से 07.02.2021 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम ..... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5238/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 22.07.2017 को वाहन संख्या UV07BA-0342, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री विकास जखयीला S/o श्री खुलानन्द की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720120215394, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 09.07.2012 से 30.06.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5239/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.07.2017 को वाहन संख्या UK07AG-7356, स्कूटी वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री प्रशान्त यादव S/o श्री दलीप कुमार की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720080034727, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 02.02.2008 से 11.02.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5240/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 15.07.2017 को वाहन संख्या UK07AB-1032, स्कूटी वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Red Light Jump के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अतुल नेगी S/o श्री बी0 एस0 नेगी की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720140313177, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 30.08.2014 से 29.08.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 12 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5241/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 14.07.2017 को वाहन संख्या UK07BU-8785, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Mohd. Shahjeb S/o Sri Meherban Ahmad की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720140319739, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 30.10.2014 से 29.10.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5242/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 07.06.2016 को वाहन संख्या UP07L-4445, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मोहजम खान S/o श्री मो0 आजम खान की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720080059705, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 18.11.2008 से 17.11.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 26.07.2011 से 25.07.2014 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5243/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 28.06.2017 को वाहन संख्या HP17C-3466, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Red Light Jump के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Hashim Ali S/o Sri Akhtar Ali की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1620160007305, जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 06.01.2016 से 11.04.2032 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम ..... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5244/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 26.06.2017 को वाहन संख्या UK07BG0023, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri P. Gulati S/o Sri K. L. Gulati की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 9505100/04, जो कि ..... कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 27.04.2009 से 19.03.2024 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम ..... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5245/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 19.06.2017 को वाहन संख्या UK07TA6698, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Drinking with Drive के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Jakir S/o Sri Sagir Ahmad की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA0720020170107, जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 07.09.2002 से 09.02.2017 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 11.06.2016 से 10.06.2018 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम ..... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5246/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.07.2017 को वाहन संख्या UK-08AM-9422, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री दीपक सैनी S/o श्री सुशील कमार की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0820100032287, जो कि हरिद्वार कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 07.06.2010 से 06.06.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5247/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.08.2017 को वाहन संख्या MHORBR7363, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri V. C. Katoch S/o Sri K. S. Katoch की चालन अनुज्ञप्ति संख्या HP1719950021675, जो कि Sirmour कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 02.08.1995 से 17.12.2019 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5260/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 30.07.2017 को वाहन संख्या H.R. SSPS-8636, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री भारत सिंह ओली S/o श्री छोटेलाल की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1020120004838, जो कि Uttarkashi कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 04.10.2012 से 31.10.2032 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 07.12.2015 से 06.12.2018 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5261/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 31.05.2017 को वाहन संख्या UK07CA-0647, ली0 वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Naseem S/o Sri Yameer की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1620140002561, जो कि Vikasnagar कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 20.10.2014 से 08.07.2037 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 01.02.2016 से 31.01.2019 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5262/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 27.10.2017 को वाहन संख्या HR05AP-6554, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अतुल गुप्ता S/o श्री अनिल गुप्ता की चालन अनुज्ञप्ति संख्या HR-0520150161062, जो कि करनाल कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 29.08.2009 से 28.08.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5263/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.07.2017 को वाहन संख्या UK08V-4437, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री रविन्द्र पाल S/o श्री मेहर पाल की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0820110070363, जो कि Haridwar कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 29.12.2011 से 29.09.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5264/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 23.07.2017 को वाहन संख्या PB10CU-0195, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री रमेश कुमार S/o श्री एन0 आर0 शर्मा की चालन अनुज्ञप्ति संख्या PB-1019980442927, जो कि Ludhiana कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 30.09.1998 से 29.09.2018 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5265/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 24.07.2017 को वाहन संख्या UP11BB-7975, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मो0 फरमान S/o श्री मो0 उस्मान की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP-1120150011588, जो कि सहारनपुर कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 11.06.2015 से 31.12.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5266/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.08.2017 को वाहन संख्या UK07Z3102, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Nand Ram Singh S/o Sri Kripal Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP2119860004348, जो कि Bijnor कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 13.05.1989 से 19.01.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 07.12.2017 से 08.01.2020 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5267/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 26.06.2017 को वाहन संख्या HR0V-3005, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सिमरन जीत सिंह S/o श्री सुरमुख सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या HR-0220110062836, जो कि Jagadhra कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 15.04.2011 से 14.04.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम ..... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5268/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 30.05.2017 को वाहन संख्या UK07Q1414, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अवित कुमार S/o श्री आर0 के0 बंसल की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 554781012004, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 04.08.2000 से 03.08.2024 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

कार्यालय आदेश

22 सितम्बर, 2017 ई0
07 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्र संख्या 949/सा0प्रशा0/का0आ0/लाइ0निल0/2017–18–अग्रसारित चालक के चालक अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह की अवधि हेतु वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत ओवर लोडिंग, शराब पीकर वाहन संचालन, ओवर स्पीड आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:–

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या एवं प्रकार व वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	लाइसेन्स निरस्त/ निलम्बन की अवधि
1.	श्री रोशल लाल पुत्र श्री बच्चीराम, निवासी ग्राम खेडा, पो0 खैरासैण, तहसील सतपुली, पौड़ी गढ़वाल	UK-1520060039227, LMV(NT), LMVCAB (TR), Only 31.05.2016 to 30.05.2019	प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी	कर जमा का प्रमाण व परमिट प्रस्तुत न करने आदि	07.10.2017 से 06.01.2018
2.	मौ0 मुस्तफा पुत्र श्री वशीर, निवासी ग्राम झीटकही, पो0 ढाका, जनपद चम्पारण	53109/स्योहार, LMV(NT), H.G.V. only 02.08.2016 to 01.08.2019	प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार	ओवरलोड वहन करने, द्वितीय चालक न होने आदि	07.10.2017 से 06.01.2018
3.	श्री उदित सिंह चहल पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी शिव विहार, निकट शिव मन्दिर, ज्वालापुर, हरिद्वार	UK-0820140139659, LMV(NT), MCWOG(NT), MCWG(NT) only 02.09.2014 to 01.09.2034	प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार	आई0सी0, पीयूसीसी प्रस्तुत नहीं, बिना हैलमेट पहने वाहन का संचालन	07.10.2017 से 06.01.2018
4.	श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी म0 नं0 45, ग्राम कुण्ड कलेथ, जनपद पौड़ी गढ़वाल	UK-1520100005235, MCWG, LMV(NT), LMVCAB (TR), only 10.04.2015 to 09.04.2018	प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी	वाहन में चालक सहित कुल 11 सवारी बैठाने के अभियोग में	07.10.2017 से 06.01.2018

कार्यालय आदेश

07 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्र संख्या 952/सा0प्रशा0/का0आ0/लाइ0निल0/2017–18–निम्नलिखित चालक के चालक अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह की अवधि हेतु वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत ओवर लोडिंग, शराब पीकर वाहन संचालन, ओवर स्पीड आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:–

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या एवं प्रकार व वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	लाइसेन्स निरस्त/ निलम्बन की अवधि
1.	श्री योगम्बर सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह, निवासी एम0 टी0 कैम्प, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	UK-15201300225090, MCWG LMV(NT), Only 19.09.2013 to 18.09.2033	प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर	वाहन में 09 के सापेक्ष 11 सवारी बैठाये जाने के अभियोग में	07.10.2017 से 06.01.2018
2.	श्री दीपक सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम ढकसून, पो0 चमेठाखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल	UK-1520070024302, LMV(NT), LMVCAB (TR), Only 10.08.2016 to 09.08.2019	प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, लैन्सडौन	स्वीकृत 10 के सापेक्ष 13 सवारी बैठाने, परमिट शर्तों का उल्लंघन किये जाने आदि	07.10.2017 से 06.01.2018
3.	श्री प्रदीप खन्तवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रसाद खन्तवाल, निवासी ग्राम शिवपुर, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल	UK-15820080015007, MCWG LMV(NT), Only 08.11.2008 to 07.11.2028	प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी	वाहन के प्रपत्र प्रस्तुत न किये जाने, बिना हैलमेट पहने वाहन का संचालन	07.10.2017 से 06.01.2018

कार्यालय आदेश

16/27 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्र संख्या 1004/सा0प्रशा0/का0आ0/लाइ0निल0/2017–18–निम्नलिखित चालक के चालक अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह की अवधि हेतु वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत ओवर लोडिंग, शराब पीकर वाहन संचालन, ओवर स्पीड आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:–

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या एवं प्रकार व वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	लाइसेन्स निरस्त/ निलम्बन की अवधि
1.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह भण्डारी पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी, निवासी हण्डुल तल्ला, लैन्सडौन, पौड़ी गढ़वाल	UK-1520100004751, MCWG (NT), LMV(NT), LMV Cab (TR), only 12.07.2011 to 11.07.2017	प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार	क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पूर्व चालान का निस्तारण न किये जाने आदि	16.10.2017 से 15.01.2018
2.	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेहरबान सिंह, निवासी मुवांली, पो0 मन्डोली, पौड़ी गढ़वाल	UK-1520060015865, LMV(NT), LMV Cab (TR), Only 06.02.2012 to 05.02.2015	प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार	क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, असुरक्षित संचालन	16.10.2017 से 15.01.2018
3.	श्री साबर सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी बालासौड, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल	UK-15199220024848, LMV(NT), TRANS(TR), LMVCAB(TR), PSVBUS(TR), Only 16.09.2013 to 15.09.2016	प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार	क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर	16.10.2017 से 15.01.2018

कार्यालय आदेश

11/27 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्र संख्या 1005/सा0प्रशा0/का0आ0/लाइ0निल0/2017–18–निम्नलिखित चालक के चालक अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह की अवधि हेतु वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत ओवर लोडिंग, शराब पीकर वाहन संचालन, ओवर स्पीड आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:–

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या एवं प्रकार व वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	लाइसेन्स निरस्त/ निलम्बन की अवधि
1.	श्री राजेन्द्र सिंह पुण्डीर पुत्र स्व0 रणजीत सिंह, निवासी काशीरामपुर सुखरौ, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल	UK-1520120018694, MCWG(NT), LMV(NT), Only 21.08.2012 to 20.08.2032	ट्रैफिक इन्सपैक्टर, देहरादून	रेड लाइट जम्प किये जाने पर	11.10.2017 से 10.01.2018
2.	श्री अजीत राणा पुत्र श्री कुशाल सिंह, निवासी दुधुपानी, बापूग्राम, ऋषिकेश, देहरादून	UK-1420120038041, MCWG (NT), LMV(NT), Only 18.02.2012 to 17.02.2032	प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार	वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग	11.10.2017 से 10.01.2018
3.	श्री सुनील गौनियाल पुत्र श्री सर्वेश्वर प्रसाद, निवासी म0 नं0 79, ग्राम घमण्डपुर, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल	UK-1520080000473, MCWG(NT), LMV(NT), LMV Cab(TR), Only 28.09.2016 to 27.09.2019	प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार	ऑटो रिक्शा के चालक कक्ष में 02 सवारी बैठी पाई जाने पर	11.10.2017 से 10.01.2018

कार्यालय आदेश

$\frac{16}{27}$ अक्टूबर, 2017 ई0

पत्र संख्या 1006/सा0प्रशा0/का0आ0/लाइ0निल0/2017–18–निम्नलिखित चालक के चालक अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह की अवधि हेतु वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत ओवर लोडिंग, शराब पीकर वाहन संचालन, ओवर स्पीड आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:–

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या एवं प्रकार व वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	लाइसेन्स निरस्त/ निलम्बन की अवधि
1.	श्री राकेश चन्द नेगी पुत्र श्री हरीश चन्द्र, निवासी ग्राम मसमोली, तह0 चौबट्टाखाल, पौड़ी गढ़वाल	UK-1520110014612, MCWG (NT), LMV(NT), Only 28.11.2011 to 27.11.2031	प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार	वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग, बीमा की वैधता समाप्त	16.10.2017 से 15.01.2018
2.	श्री महिपाल सिंह रावत पुत्र श्री महावीर सिंह, निवासी ग्राम रिंगवाडी, पो0 सरासू, जनपद पौड़ी गढ़वाल	UK-1520040019654, LMV(NT), LMV Cab (TR), Only 06.11.2015 to 05.11.2018	प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार	क्षमता से अधिक सवारी बैठाने के अभियोग में	16.10.2017 से 15.01.2018
3.	श्री खशीबुल पुत्र श्री मौ0 जन्दीबख्श, निवासी मोहसीन नगर, लकडी पडाव, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल	UK-1520080000439, MCWG(NT), LMV(NT), Only 24.10.2008 to 23.10.2028	प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी	वाहन संचालन के समय हैलमेट नहीं पहना एवं मोबाइल का प्रयोग	16.10.2017 से 15.01.2018

रावत सिंह,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49 हिन्दी गजट/803–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2017 ई0 (अग्रहायण 18, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

I, Birbal Ram S/o Shri Chait Ram E-26, Govt. Press Colony Ram Nagar, Roorkee (Haridwar) have changed my name Birbal Ram to Birendra Khanera (बिरेन्द्र खनेड़ा) All purpose

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Birendra Khanera (बिरेन्द्र खनेड़ा)
पुत्र चेतराम निवासी ई–26, गर्वनमेंट
प्रेस कालोनी, रामनगर रूड़की (हरिद्वार)

सूचना

मेरी पुत्री इशर सिंह के शैक्षिक अभिलेखों में नाम त्रुटिवश इशर कौर सिब्बल हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम इशर सिंह है। भविष्य में मेरी पुत्री को इशर सिंह नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ले0 कर्नल कंवरजीत सिंह निवासी हा0 नं0 384
ढिल्लन मार्ग, बी0ई0जी0 एण्ड सेन्टर, रूडकी

सूचना

मैं महेश प्रसाद पुत्र शिवनन्दन प्रसाद ने सन्यास ग्रहण के पश्चात् अपना नाम स्वामी मुक्तानन्द पुरी एवं पिता के स्थान पर अपने गुरू स्वामी परमज्ञानानन्द पुरी जी महाराज परमहंस कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

स्वामी मुक्तानन्द पुरी पुत्र स्वामी
परमज्ञानानन्द पुरी जी महाराज परमहंस
निवासी 172 सत्यम विहार कालोनी,
भूपतवाला ऋषिकेश रोड, हरिद्वार

कार्यालय नगर निगम, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर

उपविधि

17 नवम्बर, 2017 ई0

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2016

नगर सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज)

पत्रांक 978/मु0कार्यालय/2017–18–नगर निगम, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 के अन्तर्गत (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड), प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22.11.2016 के प्रस्ताव संख्या–164 के क्रम में नगर निगम, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज) प्राप्त करने के लिए दिनांक 05 जनवरी, 2017 के शाह टाईम्स एवं दिनांक 04 जनवरी, 2017 के दैनिक अमर उजाला समाचार–पत्र में दरें प्रकाशित कर, प्रभावित पक्षों से आपत्ति आमंत्रित की गई थी। आपत्ति अवधि व्यतीत होने के उपरान्त पुनः दरों को नगर निगम बोर्ड की बैठक दिनांक 15.09.2017 के प्रस्ताव संख्या–262 के माध्यम से सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई हैं, प्रख्यापित की जाने वाली उपविधि निम्नानुसार हैं:–

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भः

   उपविधि काशीपुर नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2016 कहलायेगी।

2. यह उपविधि नगर निगम, काशीपुर के सीमान्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र में प्रभावी होगी।

3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ:

नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(1) उपविधि से तात्पर्यः–नगर निगम, अधिनियम 1959 की धारा 541 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड) के अधीन बनाई गयी नगर निगम, काशीपुर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2016 से हैं।

(2) महापौर से तात्पर्यः–महापौर, नगर निगम, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर से है।

(3) नगर स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई निरीक्षकः–नगर निगम, काशीपुर में शासन द्वारा तैनात नगर स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर निगम के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत किया गया हों।

(4) निरीक्षण अधिकारी का तात्पर्यः–नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय–समय पर नगर आयुक्त के आदेश से निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया है।

(5) नियम से तात्पर्यः–भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648, नई दिल्ली, मंगलवार, 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये है।

(6) अधिनियम से तात्पर्यः–उत्तर प्रदेश (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड), नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(7) जीव नाशित/जीव न्यूनीकरण/जैविक अपशिष्ट से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा न्यूनीकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फल के छिलके, फूल–पौधों के पत्ते आदि।

(8) जीव अनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य, ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी हैं।

(9) पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा किसी विधि से परिवर्तन उपरान्त प्रयोग में आ सकता हो, जैसे प्लास्टिक, पालिथीन, कागज, धातु, रबड़ आदि।

(10) जीव चिकित्सीय अपशिष्ट से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के निदान उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे जिसका जनन मानवों एवं पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हैं।

(11) संग्रहण से तात्पर्य, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना, अभिप्रेत है।

(12) बहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट से सन्निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धित संक्रिया के प्रमाण स्वरूप निर्माण सामग्री, रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

(13) व्ययन से भू–जल, सतही जल तथा परिवेशीय वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(14) अपशिष्ट के उत्पादक से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है।

(15) भूमिकरण से भू–जल, सतह तथा प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तकए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमिभरण पर निपटान अभिप्रेत है।

(16) निक्षालित से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित एवं निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।

(17) नगर निगम प्राधिकारित से नगर निगम काशीपुर अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(18) स्थानीय प्राधिकरण का तात्पर्य, नगर निगम काशीपुर से है।

(19) नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(20) सुविधा के परिचालक से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्कीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण भी आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगर निगम प्राधिकारी के द्वारा नियुक्त किया गया है। प्रसंस्करण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट के नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(21) पुनःचक्रण से वह अभिप्रेषित है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है, जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(22) पृथक्करण से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों को आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(23) भण्डारण से नगरीय ठोस अपशिष्टों के स्थाई रूप से इस प्रकार से डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के अन्तर्गत आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(24) सेवा शुल्क से तात्पर्य उस व्यय राशि से है, जो नगर निगम द्वारा स्वयं या सुविधा के परिचारक के माध्यम से शुल्क के रूप में ठोस अपशिष्टों के उत्पादक से वसूला जायेगा।

4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर, जो नगर निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों का उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट तथा दूसरे से पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 05 के अनुसार संग्रहित जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट, सप्ताह में एक दिन नगर निगम के द्वारा निर्धारित समय/प्रक्रिया के अनुसार नगर निगम के कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक को देना होगा, जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित, दरें जो समय–समय पर संशोधित की जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क लिए जायेंगे।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन/ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर निगम से सम्पर्क कर, नगर निगम द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए, निर्धारित दर पर सेवा शुल्क का भुगतान करेगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो, बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा सम्भव न हो तो नगर निगम से सम्पर्क कर निगम द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।
9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/संस्था द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिनों में एक बार घर–घर से संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधादाता के प्रचालक को देना होगा।
10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 1988 के अनुसार करेगा। बिना उपचारित जैवचिकित्सकीय अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।
11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला, व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति, नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।
12. अनुसूची में दी गई दरें, प्रत्येक तीन वर्ष बाद पुनरीक्षित की जायेगी।
13. उपविधि में लगाए जाने वाले यूजर चार्जेज में छूट का प्राविधान नहीं होगा।
14. इस उपविधि के अन्तर्गत नगर निगम को देय धनराशि नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) के अध्याय 21 में उपबन्धित रीति की धारा 503 के तहत वसूल किये जायेंगे।
15. उपरोक्त किसी भी प्राविधान की अवहेलना पर प्रथम दोष सिद्धि के लिए अधिकतम ₹ 1,000/– तक अर्थदण्ड तथा अवहेलना जारी रहने पर ₹ 25/– प्रतिदिन का अर्थदण्ड देय होगा।

अनुसूची–1 सेवा शुल्क

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क की स्वीकृत दरें आपत्ति उपरान्त (₹ में)		
1	2	3		
1.	आवासीय भवन	उच्च वर्ग	₹ 50/–	प्रतिमाह
		मध्यम वर्ग	₹ 30/–	प्रतिमाह
		निम्न वर्ग	₹ 10/–	प्रतिमाह
2.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में	₹ 10/–	प्रतिमाह
		स्थाई दुकान/फड पर	₹ 50/–	प्रतिमाह
3.	मांस एवं मछली विक्रेता		₹ 300/–	प्रतिमाह
4.	रेस्टोरेन्ट	रेस्टोरेन्ट	₹ 300/–	प्रतिमाह
5.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस		₹ 500/–	प्रतिमाह
6.	धर्मशाला		₹ 150/–	प्रतिमाह
7.	बारात घर (चेरिटेबिल)		₹ 300	प्रति उत्सव
8.	बारात घर (नॉन–चेरिटेबिल)		₹ 1,000/–	प्रति उत्सव
9.	कार्यालय/स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ, सरकारी	निःशुल्क		
	कार्यालय/स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ, गैर सरकारी		₹ 100/–	प्रतिमाह
10.	समस्त बैंक		₹ 100/–	प्रतिमाह
11.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम	40 बैड तक	₹ 1,000/–	प्रतिमाह
	(अनुपचारित बॉयो मेडिकल वेस्ट छोड़कर)	41 बैड से अधिक पर	₹ 1,500/–	प्रतिमाह
12.	क्लीनिक/पैथोलॉजी	क्लीनिक	₹ 100/–	प्रतिमाह
		पैथोलॉजी	₹ 500/–	प्रतिमाह
13.	दुकाने (खाद्य पदार्थ बनाकर दे देने वाली दुकानों को छोड़कर)		₹ 50/–	प्रतिमाह

1	2	3		
14.	खाद्य पदार्थ बनाकर दे देने वाले हाथ ठेले		₹ 50/–	प्रतिमाह
15.	फैक्ट्री		₹ 1,000/–	प्रतिमाह
16.	वर्कशाप		₹ 100/–	प्रतिमाह
17.	कबाड़ी		₹ 50/–	प्रतिमाह
18.	जूस/गन्ने का रस विक्रेता		₹ 100/–	प्रतिमाह
19.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	रेता, बजरी एवं अन्य सामग्री सड़क पर होने की स्थिति में एक सप्ताह के लिए ₹ 500/–, आने–जाने का मार्ग, प्रतिबन्धित नहीं होना चाहिए। मार्ग प्रतिबन्धित होने पर ₹ 500/– के अतिरिक्त ₹ 100/– पृथक से अर्थदण्ड		
20.	सिनेमा हाल		₹ 1,000/–	प्रतिमाह
21.	बार		₹ 500/–	प्रतिमाह
22.	बारबर/मोची/दर्जी/ड्राईक्लीनर व्यवसाय करने वाली दुकानें		₹ 50/–	प्रतिमाह
23.	सार्वजनिक स्थानों, प्लॉटों एवं नाले/नालियों में कूड़ा डालने पर जुर्माना		₹ 1,000/–	

अनुसूची

जैविक अपशिष्ट	पुनः चक्रणीय अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट
01	02	03
हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ खाद्य अपशिष्ट, जिसमें अण्डे के छिलके एवं हड्डिया भी हो सकती है।	कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलों के छिलके, फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा	कार्ड, बोर्ड तथा कार्टन	बटन सैल, फ्लैश लाइट/कार बैटरी
घरेलू झाड़ू से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लीच घरेलू रसोई तथा नाला सफाई का सामान
सेनेटरी टावल	हर प्रकार के डिब्बे, परिसंकट को छोड़कर	ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
बच्चों के डायपर	हर प्रकार का काँच/धातु/रबड़/लकड़ी	रसायन तथा उनके खाली डिब्बे, सौन्दर्य तथा उनके खाली डिब्बे
	फाईल पुड़िया, ट्रैटापैक, कैसेट, कम्प्यूटर, डिस्केट, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, खराब कपड़े, फर्नीचर आदि	इन्जैक्शन, सुई तथा सीरिन्ज, खराब दवाईयाँ, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे
		ट्यूब लाइट तथा छोटे फ्लोसैन्ट बल्ब, थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद
		पेन्ट, तेल, गोंद, थिनर तथा उनके डिब्बे, फोटोग्राफी

शास्ति

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनान्तर्गत उपभोग (यूजर चार्जेज) एवं उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन करने पर नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) के अधीन कार्यवाही/जुर्माना/अर्थदण्ड, जो ₹ 1,000/– तक होगा। यदि निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है तो इस धनराशि के अतिरिक्त ₹ 25/– प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा।

कृष्ण कुमार मिश्र,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, काशीपुर।

ऊषा चौधरी,
महापौर,
नगर निगम, काशीपुर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49 हिन्दी गजट/803–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।